संख्याः 352 / XXXi(13)G / 2012–108(सा0) / 2012

प्रेषक

सुरेन्द्र सिंह रावत,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1.समस्त प्रमुख सचिव / सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

2. समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

3. समस्त जिलाधिकारी / मण्डलायुक्त,
उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग देहरादूनः दिनांक 31 दिसम्बर, 2012

विषयः– अन्य कार्यालयों की सूचना मंगा कर देने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रायः देखा गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत किसी सरकारी सेवक की सेवा सम्बन्धी सूचनाएं उस कार्यालय के कार्यालयध्यक्ष से मांगी जाती है जिस कार्यालय में सरकारी सेवक तैनात है। सम्बन्धित कार्यालय अध्यक्ष तब आवेदक को सूचना उपलब्ध कराने के लिये विभागाध्यक्ष आदि से सूचना प्राप्त करके आवेदक को उपलब्ध कराते हैं। यह तरीका उचित नहीं है।

2. आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत मांगी गयी सूचना सम्बन्धित कार्यालय में नही रखी जाती हो तथा यह ज्ञात हो कि उक्त सूचना विभागाध्यक्ष या अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा रखी जाती है तब आवेदक को सूचना मंगा कर देने के स्थान पर आवेदक द्वारा मांगी गयी ऐसी सूचना के लिए आवेदन पत्र धारा 6(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष अथवा जिस ज्ञात प्राधिकारी के द्वारा सूचना रखी जाती है उसको अन्तरित कर दिया जाये। जिस कार्यालय से आवेदक ने सूचना मांगी है यदि वह सूचना कहीं धारित की जाती है यह स्पष्ट न हो तो आवेदक को अवगत करा दिया जाये कि सूचना कहां धारित है ज्ञात न होने के कारण आवेदन पत्र अन्तरित नहीं किया जा रहा है। आवेदक सम्बन्धित सूचना सक्षम लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी को आवेदन करके प्राप्त कर लें।

3. आवेदक द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध न कराने पर तथा आवेदन पत्र किसी अन्य लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी को अन्तरित न किये जाने पर प्रथम अपील दाखिल किये जाने पर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा यह समाधान कर लिया जाये कि सूचना जिस कार्यालय से

इतनी बड़ी और फैली हुई है कि यह लोक सूचना अधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि जिस सूचना को वह बिन्दु संख्या (3) के क्रम में उपलब्ध करा रहा है वह पूर्ण है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा चिन्हित सूचना के अतिरिक्त अन्य सूचना नहीं है जो आवेदित सूचना बिन्दु (3) द्वारा मांगी गयी है।

3. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्रत्येक लोक सूचना अधिकारी का दायित्व है कि वह 'सूचना' जो लोक प्राधिकारी में धारित है या उसके नियंत्रण में है तथा प्रकटन से छूट प्राप्त नहीं है उसे आवेदन करने पर आवेदक को उपलब्ध कराये। परन्तु आवेदित सूचना भलीभांति चिन्हित न होने पर आवेदक को 'सूचना' उपलब्ध कराने का दायित्व नहीं है। जब कभी उपरोक्त प्रकार की स्थितियां आये जहां आवेदक द्वारा आवेदित सूचना स्पष्ट रूप चिन्हित नहीं है तथा लोक सूचना अधिकारी से अपेक्षा की गयी है कि वह समाधान करके 'सूचना' उपलब्ध कराये तब सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को यथा शीघ्र उक्त अस्पष्टता की स्थिति से अवगत कराते हुए उसको लोक प्राधिकारी में धारित सूचना, जिसके प्रकटन की छूट नहीं है उसे छोड़कर, का निरीक्षण करके उसे जो सूचना चाहिये चिन्हित कर लें तथा अवगत कर दें अथवा आवेदक अन्यथा सूचना चिन्हित करके उसका सुस्पष्ट नाम/विवरण उपलब्ध करा दें ताकि सूचना निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध करा दी जाये।

4 उक्तानुसार आवेदक को आवेदित सूचना स्पष्ट रूप से चिन्हित कर लोक सूचना अधिकारी को अवगत कराने पर आवेदित सूचना निर्धारित समय सीमान्तर्गत यथा शीघ्र उपलब्ध करा दी जाये।

5. समस्त लोक सूचना अधिकारी उक्त निर्देशों के अनुसार अस्पष्ट आवेदित सूचना के सम्बन्ध में यथोचित कार्यवाही करें।

भवदीय,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
सचिव।

संख्याः351/XXXi(13)G/2012-108(सा0)/2012 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून।
2-समस्त अनुभाग अधिकारी,उत्तराखण्ड सचिवालय।
3-निदेशक,राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर को विभागीय वेबसाईट में अपलोड़ करने क अनुरोध सहित प्रेषित।
4-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0एल0शर्मा)
अनु सचिव।